"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2017—फाल्गुन 5, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्याम शरण तिवारी (Shyam Sharan Tiwari) आ. स्व. कालीदास (Kalidas), उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 42-सी, सड़क एव्हन्यू-सी, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में एवं पेन कार्ड में मेरा नाम श्याम शरण तिवारी दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे ग्यारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम श्याम शरण दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "तिवारी" जोड़कर नया नाम/उपनाम श्याम शरण तिवारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्याम शरण तिवारी पिता स्व. कालीदास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्याम शरण (Shyam Sharan) पिता-स्व. कालीदास (Kalidas) निवासी-क्वा. नं. 42-सी, सड़क एव्हन्यू-सी, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्याम शरण तिवारी (Shyam SharanTiwari) पिता-स्व. कालीदास (Kalidas) निवासी-क्वा. नं. 42-सी, सड़क एव्हन्यू-सी, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शाम बाई साहू पति श्री लीलाराम साहू , उम्र 43 वर्ष, निवासी-सड़क नं.-2, कुरूद रोड, कोहका चौक, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री लीलाराम साहू बी. एस. पी. भिलाई में कार्यरत है उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मीनाक्षी साहू दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे बैंक खाता, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका में मेरा नाम शाम बाई साहू दर्ज है जो कि सही है. मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शाम बाई साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे शाम बाई साहू पति श्री लीलाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मीनाक्षी साहू
पति-लीलाराम साहू
निवासी-शिवाजी नगर, सड़क नं. 2,
कुरूद रोड, कोहका चौक, भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शाम बाई साहू
पति-लीलाराम साहू
निवासी-शिवाजी नगर, सड़क नं. 2,
कुरूद रोड, कोहका चौक, भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुभाष चन्द्र लेले आत्मज स्व. नारायण राव लेले, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-26-सी, सड़क नं.-2, सेक्टर-2, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुभाष चन्द्र दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुभाष चन्द्र लेले दर्ज है जो कि सत्य है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "लेले" जोड़कर नया नाम/उपनाम सुभाष चन्द्र लेले रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुभाष चन्द्र लेले आत्मज स्व. नारायण राव लेले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुभाष चन्द्र
पिता-स्व. नारायण राव लेले
निवासी-क्वा. नं.-26-सी, सड़क नं.-2, सेक्टर-2,
भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुभाष चन्द्र लेले
पिता-स्व. नारायण राव लेले
निवासी-क्वा. नं.-26-सी, सड़क नं.-2, सेक्टर-2,
भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भुवन लाल साहू, पिता स्व. तेजराम साहू, उम्र 52 वर्ष, निवासी-एच. एस. सी. एल. कालोनी, दुर्गा मंदिर के पास, स्टेशन मरोदा, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भुवन लाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है किन्तु मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम भुवन लाल साहू दर्ज है जो कि सत्य है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "साहू" जोड़कर नया नाम/उपनाम भुवन लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे भुवन लाल साहू पिता स्व. तेजराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

भुवन लाल
पिता-स्व. तेजराम साहू
निवासी-एच. एस. सी. एल. कालोनी
दुर्गा मंदिर के पास, स्टेशन मरोदा, भिलाई
पोस्ट व थाना-नेवई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

भुवन लाल साहू
पिता-स्व. तेजराम साहू
निवासी-एच. एस. सी. एल. कालोनी
दुर्गा मंदिर के पास, स्टेशन मरोदा, भिलाई
पोस्ट व थाना-नेवई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गीता देवी साहू, पति श्री भुवन लाल साहू, उम्र 46 वर्ष, निवासी-एच. एस. सी. एल. कालोनी, दुर्गा मंदिर के पास, स्टेशन मरोदा, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गीता बाई दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है किन्तु मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गीता देवी साहू दर्ज है जो कि सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम गीता देवी साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे गीता देवी साहू पति श्री भुवन लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

गीता बाई
पति श्री भुवन लाल
निवासी-एच. एस. सी. एल. कालोनी
दुर्गा मंदिर के पास, स्टेशन मरोदा, भिलाई
पोस्ट व थाना-नेवई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

गीता देवी साहू
पति श्री भुवन लाल साहू
निवासी-एच. एस. सी. एल. कालोनी
दुर्गा मंदिर के पास, स्टेशन मरोदा, भिलाई
पोस्ट व थाना-नेवई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दीप्ति हिरवानी पति श्री विकास कुमार, उम्र 30 वर्ष, स्थाई निवासी- म. नं. 829/ग, मठपारा, वार्ड नं.-4, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491001, वर्तमान पता-फ्लैट नं.-702 बिल्डिंग नं. 24 (बी), रिवेर्वूड पार्क शीलफटा रोड, देसाई नाका के पास, कल्याण ठाणे (महाराष्ट्र), 421204 की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. दीप्ति पिता श्री मीरेन्द्र सिंह था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 13-02-2013 को विकास कुमार पिता स्व. शिवप्रसाद के साथ संपन्न हुआ. विवाह के पश्चात् मैने अपना नाम/उपनाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती दीप्ति हिरवानी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती दीप्ति हिरवानी पति श्री विकास कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. दीप्ति (Ku. Dipti) पिता-श्री मीरेन्द्र सिंह निवासी-फ्लैट नं.-702 बिल्डिंग नं. 24 (बी), रिवेर्वूड शीलफटा रोड, देसाई नाका के पास, कल्याण ठाणे (महाराष्ट्र)	श्रीमती दीप्ति हिरवानी (Smt. Dipti Hirwani) पति-श्री विकास कुमार निवासी-फ्लैट नं.-702 बिल्डिंग नं. 24 (बी), रिवेर्वूड शीलफटा रोड, देसाई नाका के पास, कल्याण ठाणे (महाराष्ट्र)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्णव नागदौने पिता मुनीदास नागदौने, जाति महार, उम्र, 30 वर्ष, निवासी-कालकापारा वार्ड नं.-10, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम भीमराव नागदेवे पिता श्री मुनीदास नागदेवे अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अर्णव नागदौने रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अर्णव नागदौने पिता श्री मुनीदास नागदौने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भीमराव नागदेवे पिता-मुनीदास नागदेवे निवासी-कालकापारा वार्ड नं.-10, डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	अर्णव नागदौने पिता-मुनीदास नागदौने निवासी-कालकापारा वार्ड नं.-10, डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार सिंह पिता श्री चेतनारायण सिंह, उम्र 42 वर्ष, जाति राजपूत क्षत्री, निवासी-मेनरोड कोनी, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र अमन कुमार सिंह के शाला स्थानांतरण के प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश अमन सिंह पिता अजय सिंह दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अमन कुमार सिंह पिता अजय कुमार सिंह है. मैं अपने पुत्र के नाम को परिवर्तित कर नया नाम अमन कुमार सिंह रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अमन कुमार सिंह पिता श्री अजय कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अमन सिंह पिता-अजय सिंह निवासी-मेन रोड कोनी, आई. टी. आई. गेट के सामने थाना-कोनी, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	अमन कुमार सिंह पिता-अजय कुमार सिंह निवासी-मेन रोड कोनी, आई. टी. आई. गेट के सामने थाना-कोनी, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विषय लाल देशमुख, आत्मज स्व. तिजऊ राम, उम्र 58 वर्ष, निवासी-इंदिरावती नगर, कालोनी रोड कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे बैंक रिकार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड व समस्त रिकार्ड में मेरा नाम विषय लाल देशमुख दर्ज है जो कि सही है किंतु मेरे बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विषय लाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "देशमुख" जोड़ कर नया नाम/उपनाम विषय लाल देशमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विषय लाल देशमुख पिता स्व. तिजऊ राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विषय लाल पिता-स्व. तिजऊ राम निवासी-इंदिरावती नगर, कालोनी रोड कोहका, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	विषय लाल देशमुख पिता-स्व. तिजऊ राम निवासी-इंदिरावती नगर, कालोनी रोड कोहका, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, समारू राम साहू आत्मज स्व. रामा साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 3-बी, सड़क "के" पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड में मेरा नाम समारू राम साहू दर्ज है जो कि सही है किंतु मेरे बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम समारू राम दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "साहू" जोड़कर नया नाम/उपनाम समारू राम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे समारू राम साहू पिता स्व. रामा साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
समारू राम पिता-स्व. रामा साहू निवासी-क्वा. नं. 3-बी, सड़क "के" पाकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	समारू राम साहू पिता-स्व. रामा साहू निवासी-क्वा. नं. 3-बी, सड़क "के" पाकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेश पेरी (Naressh Perri) पिता स्व. पी. आर. मूर्ति, निवासी-सांई मंदिर के पीछे, गली नं. 4, दुबे कालोनी, मोवा रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे पी. नरेश (P. Naresh) कहा जाता था जो कि कार्यालय-संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-4, सेन्ट्रल रेवेन्यू भवन, सिविल लाईन रायपुर में आयकर अधिकारी के पद पर नियोजित हूं में दर्ज है. मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नरेश पेरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नरेश पेरी पिता स्व. पी. आर. मूर्ति के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
पी. नरेश (P. Naresh) पिता-स्व. पी. आर. मूर्ति निवासी-सांई मंदिर के पीछे, गली नं.-4, दुबे कोलोनी मोवा रायपुर (छ.ग.)	नरेश पेरी (Naressh Perri) पिता-स्व. पी. आर. मूर्ति निवासी-सांई मंदिर के पीछे, गली नं.-4, दुबे कोलोनी मोवा रायपुर (छ.ग.)

NAME CHANGE

It is hereby notified for the information of all authorities concerned and the public that I, S. Thirupathaiah S/o S. Chennaiah, aged about 64 years old, a resident of Qrt No.-19 D, Street No.-08, Sector No.-1, Bhilai District-Durg (C.G.) have my name recorded as Siginam Narayana S/o S. Chennaiah, in my Property record, and S. Thirupathaiah S/o S. Chennaiah in all other relevant document. I have change my name as S. Thirupathaiah S/o S. Chennaiah, in place of may previous name, I have execute this declaration to submitted to the concerned authorities for the change of name.

Hereafter I will be known by the name S. Thirupathaiah S/o S. Chennaiah, in future for all purposes.

OLD NAME	NEW NAME
Siginam Narayana S/o.-S. Chennaiah Vill & Post-Gannavaram, Mandal-Veligandala, Taluk-Kanigiri, District-Parakasham, (Andhra Pradesh)	S. Thirupathaiah S/o.-S. Chennaiah Qrt. No.-19 D, Street No.-08, Sector No.-1, Bhilai, District-Durg (C.G.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, डोंगरगढ़

डोंगरगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2017

प्रारूप-04
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 05 (2) छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/248/प्र./अ.वि.अ./राजस्व/2017.—चूंकि आवेदक श्री सैफुद्दीन जाहिद अध्यक्ष सूफी ख्वाजा शैख फौजी रियाजुद्दीन नूरे कुतुबे आलम वेल्फेयर ट्रस्ट डोंगरगढ़ ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई, संपत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06-03-2017 को विचार हेतु नियत किया गया है, कोई भी व्यक्तियों उक्त न्यास की संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभावक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उपरोक्त

अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	सूफी ख्वाजा शैख फौजी रियाजुद्दीन नूरे कुतुबे आलम वेल्फेयर ट्रस्ट डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	1000/- (एक हजार), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डोंगरगढ़
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

सी. एल. मारकण्डेय,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/81.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत विश्वकर्मा मिट्टी तेल विक्रेता सहकारी समिति मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2483 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/525 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री भूपेन्द्र चंद्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/82.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत हितकारिणी प्री मिट्टी तेल सहकारी समिति मर्या., भिलाई पं. क्र. 2540 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/521 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती प्रीति सोनी, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/83.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जिला पशुधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., दुर्ग पं. क्र. 139 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/518 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती देवकन्या देशलहरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/84.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत वेदमाता ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., अंजोरा पं. क्र. 2366 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/519 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती देवकन्या देशलहरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/85.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जय दुर्गा हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या., जेवरा सिरसा पं. क्र. 153 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/523 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती देवकन्या देशलहरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/86.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत दुर्ग जिला वृक्ष सहकारी संघ मर्या., दुर्ग पं. क्र. 123 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/526 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती देवकन्या देशलहरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/87.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत ईंट खपरा पत्थर, सीमेंट आदिवासी सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पं. क्र. 2780 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/524 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री भूपेन्द्र चंद्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/88.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जागृति महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., सेक्टर-6, भिलाई पं. क्र. 2585 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/522 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री भूपेन्द्र चंद्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/89.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खनिज एवं औद्योगिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2242 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/520 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती प्रीति सोनी, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2017

संशोधित

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/90.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत दुर्ग जिला मोटर कामगार को-आपरेटिव्ह सोसायटी दुर्ग पं. क्र. 1437 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/527 दिनांक 18-02-2015 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दिनांक 30-11-2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्रीमती देवकन्या देशलहरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थायें मर्यादित बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2017

क्रमांक/क्यु/2017/परिसमापन/358.—छ.ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सुचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् आने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर अधोवर्णित संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं के रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हों तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	परिसमापनाधीन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	जय माता दी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित बोदरी, विकासखण्ड-बिल्हा.	269 दिनांक 06-01-2011	श्रीकान्त शुक्ला (सह.निरी.)	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, कक्ष क्र. 14 प्रथम तल, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर (छ.ग.).

श्रीकान्त शुक्ला,
सह. निरीक्षक/परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.